'kghn dlVu foØe cÙkjk jktdh; egkfo|ky; ikyeiqj] ftyk dkxMk fgekpy

in'k d lpkf;dk y[kk dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu

vof/k 4@2006 l0 3@2009 rd

Hkkx&,d

1 xr vd{k.k ifronu %&

महाविद्यालय प्रषासन द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट विभिन्न पैरों के निपटारे हेतु समुचित कार्यवाही नहीं की गई है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विषेष ध्यान में लाया जाता है। वर्तमान अंकेक्षण के पष्चात गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में निपटारे हेतु लम्बित पडे पैरों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@95 l 3@2000 rd %&

1	पैरा 5	निर्णीत	
2	पैरा 6	निर्णीत	
3	पैरा 7	अनिर्णीत	संचायिका राशि का पुस्तकालय प्रतिभूति खाते में जमा करवाने बारे।

vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@2000 l 3@2002 rd %&

1	पैरा 5	निर्णीत	(संचायिका की जमा राशि से सावधि जमा योजना में 75% राशि जमा न किया जाना) पैरा वर्तमान अंकेक्षण के पैरा 5 में सम्मिलित है।
2	पैरा 6	निर्णीत	(संचायिका खाताधारकों का त्रैमासिक आधार पर ब्याज न देना) पैरे का वर्तमान अंकेक्षण में पैरा 5(ख) में पुनः सम्मिलित किया गया।
3	पैरा 7	निर्णीत	(कालातीत जमा राशियों का भवन निधि में जमा न करवाया जाना) पैरे का वर्तमान अंकेक्षण के पैरा 5(घ) में सम्मिलित किया गया।

vid{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@2002 l 3@2006 rd %&

1	पैरा 5(क)	अनिर्णीत	छात्रों के व्यक्तिगत खाते न खोलने के बारे में।
2	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	संचायिका खाताधारकों को त्रैमासिक आधार पर ब्याज न देना।
3	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	सावधि जमा योजना में निवेश न करने बारे।
4	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत	भवन निमार्ण निधि में कालातीत राशि को स्थानांतरित करने बारे।
5	पैरा 5(ङ)	अनिर्णीत	संचायिका की राशि को डाकघर के बचत खाते में रखने बारे।
6	पैरा 5(च)	अनिर्णीत	संचायिका में जमा राशि का भुगतान करते समय इन्द्राज नहीं किए जाने बारे।

Hkkx&nks

2 orleku vid{k.k %&

महाविद्यालय के संचायिका लेखों का वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/2006 से 3/2009 तक श्री विकास धवन, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा पालमपुर में सम्पन्न किया गया। विस्तृत जांच हेतु आय के लिए 6/06, 8/07, व 7/08 तथा व्यय के लिए 8/06, 7/07, व 8/08 का चयन किया गया। संचायिका लेखों का अंकेक्षण महाविद्यालय में 5.5.10 व 6.5.10 को किया गया ।

3 vid{k.k 'kYd %&

महाविद्यालय के संचायिका लेखों का अंकेक्षण शुल्क की मांग छात्र निधि के अंकेक्षण शुल्क के साथ प्रस्तुत कर दी गई है। अंकेक्षण प्रतिवेदन का महाविद्यालय के प्रधानाचाय्र द्वारा प्रदान की गई सुचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सुचना या जो सूचना प्रदान नहीं की गई है उसकी जिम्मेवारी नहीं लेता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

4 foÙkh; fLFkfr %&

महाविद्यालय के अवधि 2006–07 से 2008–09 तक के संचायिका लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

foÙkh; fLFkfr o"kZ 2006&07 ls 2008&09

Cr. **Dr.**

Particular's	Amount	Particular's	Amount
Opening balance as on 1-4-06	3,81,588.65	Expenditure during the Year	11,563.00
Collection during the Year	46,800.00	Closing balance as on 31-3-07	4,30,955.65
Interest earn from Bank	14,130.00		
	4,42,518.65		
Opening balance as on 1-4-07	4,30,955.65	Expenditure during the Year	18,320.00
Collection during the Year	43,450.00	Deposited in Building fund A/c vide cheque No 051739 dated 8-5-07	3,33,788.00
Interest earn from Bank	6,547.00	Closing balance as on 31-3-08	1,28,844.65
	4,80,952.65		**4,80,952.65**
Opening balance as on 1-4-08	1,28,844.65	Expenditure during the Year	3,820.00
Collection during the Year	41,889.00	Closing balance as on 31-3-09	1,73,679.65
Interest earn from Bank	6,766.00		
	1,77,499.65		**1,77,499.65**

Bank Reconciliation Statement as on 31-3-09

Closing Balance as per Cash Book	1,77,499.65
Add : Cheque issued but not presented in Bank	+2,835.00
Total	**1,76,514.65**
Closing Balance as per Pan Books	**1,76,454.00**

अन्तर 1,76,514.65 (–) 1,76,454.00 = ₹60.65/–

उक्त ₹60.65 के अन्तर बारे अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यवाही 4/02 से 3/06 के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत स्पष्ट टिप्पणी दी गई है। अतः इस सन्दर्भ में उचित/अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना अगले अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें।

5 lapkf;dk [kkrs dk j[k&j[kko ls lEcfU/kr fu;ekas dk ikyu u djuk %&

संचायिका खाते के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कॉलेज में प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र से ₹20/– की संचायिका राशि ली जाती है। परन्तु इस राशि को प्राप्त करने के पष्चात खाते के रख–रखाव सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया जाता है।

(क) प्रत्येक छात्र से संचायिका नियमानुसार राशि प्राप्त करने के पष्चात इस राशि को दैनिक स्कोल करने के पष्चात खाता नहीं तैयार करके, प्रत्येक छात्र का अलग खाता खोल कर स्कोल द्वारा प्राप्त राशि का छात्रों

के व्यक्तिगत खाते में दिनांक सहित प्रविष्टि की जाती है। प्रत्येक छात्र को उनके खाते में जमा राशि के प्रमाण स्वरूप पास बुक जारी की जाती है परन्तु महाविद्यालय में इस नियम/औपचारिक्ताओं को पूरा नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त औपचारिकताओं को पूरा करते हुए खातों का रख–रखाव अब सुनिष्चित किया जाए।

(ख) संचायिका खाते में जमा राशि को नियमानुसार एक या दो वर्षीय सावधि जमा योजना मे निवेश किया जाना अनिवार्य है ताकि संचायिका खाते के रख–रखाव से सम्बन्धित जरूरतों को पूरा किया जा सके। यह निवेश संचायिका बचत खातें में जमा राशि के 75% तक हो सकता है। शेष राशि को बचत खाते में ही रखी जा सकती है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सम्पूर्ण राशि को बचत खातों मे ही रखा गया है। इस प्रकार विदित नियमों की अवहेलना की गई है जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में 75% राशि को सावधि जमा योजना में निवेश किया जाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत किया जाए।

(ग) जांच में पाया गया कि संचायिका खाता धारियों को उनके द्वारा संचायिका खाते में जमा राशियों पर ब्याज नहीं दिया जाता है। नियमानुसार संचायिका खाते में जमा राशि पर ब्याज त्रैमासिक आधार पर जोड़ा जाना अपेक्षित है। छात्रों को अन्तिम भुगतान के समय पर भी ब्याज नहीं दिया जा रहा है तथा इस विषय को गत वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी उठाया गया था। परन्तु इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः इस पर तुरन्त कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाए।

(घ) अभिलेख की जांच में पाया गया कि छात्रों को संचायिका में जमा राशि का भुगतान करते समय रोकड़ बही (Cash Book) के व्यय भाग (Expenditure Side) में चैक संख्या के साथ प्रविष्टि की जाती है तथा छात्रों को प्रार्थना पत्र पर अगर वह 3 वर्षों के अनुक्रमांक अंकित करता है तो ₹60/– दो वर्षों के लिए ₹40/– व एक वर्ष के लिए ₹20/– की राशि का भुगतान कर दिया जाता है। परन्तु ऐसा कोई अभिलेख/प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती जिससे भुगतान की राशि का सत्यापन किया जा सके। छात्रों को 4/06 से माह 3/09 तक ₹33,703.00 का भुगतान किया गया, परन्तु इस भुगतान के सन्दर्भ में कोई भी ऐसा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि इन छात्रों को पूर्व में कोई भुगतान नहीं हुआ है। अतः महाविद्यालय को छात्रों को जमा राशियों का भुगतान करते समय संचायिका आहरण से सम्बन्धित नियमों का पालन सुनिष्चित किया जाए।

(ङ) अभिलेख की जांच में पाया गया कि छात्रों के प्रार्थना पत्र के आधार पर संचायिका में जमा छात्रों की राशि का भुगतान करने के लिए चैक तैयार करके उनको रोकड़ बही के व्यय साईड (Exp. Side) में लिख दिया जाता है तथा जो छात्र अपने चैक नहीं लेते हैं तो उन चैकों को रोकड़ बही में जारी किये गए चैकों के रूप में दिखाया जाता है। चैक जारी होने के बाद उनकी वैधता समय सीमा 6 माह तक होती है। अतः 6 माह तक अगर कोई छात्र अपना चैक न ले तो उस चैक को रद करके उतनी रकम को दौबारा रोकड़ बही में आय के रूप में ली जानी अपेक्षित है। निम्न वर्णित चैकों को जिने रोकड़ बही से जारी किया गया था, परन्तु छात्रों

द्वारा प्राप्त न करने के कारण अभी तक रद नहीं किए गए हैं। अतः निम्न चैकों को व अन्य जो चैक 6 माह पूर्व जारी हुए हैं, को रद करके उतनी रकम को रोकड़ बही में जमा करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

Ø0 l0	pSd la[;k	fnukad	jkf'k
1	893060	18.07.07	60.00
2	893061	18.07.07	60.00
3	893064	18.07.07	60.00
4	893080	18.07.07	60.00
5	893084	19.07.07	60.00
6	893152	03.08.07	40.00
7	893153	03.08.07	40.00
8	893156	03.08.07	60.00
9	893167	03.08.07	60.00
10	893175	03.08.07	60.00
11	893186	03.08.07	60.00
12	893197	13.08.07	60.00

7 y?kq vkifr foojf.kdk ½& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

8 fu"d"kZ ½& संचायिका लेखों के रख–रखाव की स्थिति चिन्ताजनक है तथा इनमें सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :वित(ले0प0)(संचायिका)(11)(2)263/01 दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

i|th|d'r 1. प्रधानाचार्य, शहीद कैप्टन विक्रम बत्तरा, राजकीय महाविद्यालय पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस संचायिका अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें ।

2. निदेषक, शिक्षा विभाग, हि0प्र0 षिमला–171001.
3. निदेशक लघु बचत हिमाचल प्रदेश षिमला–2 को उनके पत्र संख्या फिन(2)सी(ए)एस0एस–6/84 दिनांक 9.9.86 व पत्र संख्या 2(ए)एसएस–6/84 दिनांक 23.11.1986 के सन्दर्भ में।
4. जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मषाला, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेष।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

¼vui dekj½